(५५)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 979—दो/2016 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 23—12—2015 के द्वारा न्यायालय तहसीलदार, तहसील हुजूर जिला—रीवा के प्रकरण क्रमांक 275/ए—74/2015—16/

———

1— अजय कुमार शुक्ला तनय श्री शंभू प्रसाद शुक्ला
2— पुनीत कुमार शुक्ला तनय श्री शंभू प्रसाद शुक्ला
3— सुधांशु कुमार शुक्ला तनय श्री शंभू प्रसाद शुक्ला
निवासीगण मोहल्ला ढेकहा बीड़ा बनकुइंया रोड
रीवा जिला—रीवा, (म0प्र0)

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1— रवीन्द्र प्रसाद शुक्ला तनय श्री वैजनाथ प्रसाद शुक्ला
निवासी मोहल्ला ढेकहा बीड़ा बनकुइंया रोड
रीवा जिला—रीवा, (म0प्र0)
2— म0 प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर रीवा म0प्र0

..... अनावेदकगण

श्री आर0 एस0 सेंगर, अभिभाषक, एवं
श्री एस0 के0 अवस्थी अभिभाषक, आवेदकगण
श्री पी के0 तिवारी, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

आदेश

(आज दिनांक 6/2/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय तहसीलदार तहसील हुजूर जिला—रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 23—12—2015 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम खुटेही खसरा नंबर 15/2 रकवा 0.234 है0 का नक्शा तरमीम कराये जाने बावत अनावेदक रवीन्द्र प्रसाद शुक्ला तनय श्री बैजनाथ प्रसाद शुक्ला द्वारा तहसीलदार तहसील हुजूर जिला रीवा के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन

किया है कि शासकीय अभिलेख खसरा में बटा नम्बर कायम है। उपरोक्त आराजी का नक्शा तरमीम न होने से प्रार्थी को शासकीय कार्यो व अन्य प्रयोजनों सीमांकन आदि कराने में परेशानी होने के कारण नक्शा तरमीम कराने का अनुरोध किया गया जिस पर से तहसीलदार हुजूर जिला रीवा द्वारा प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी हल्का से मौके पर जांच कराकर नक्शा तर्मीम प्रस्ताव तैयार कराने के आदेश दिये जिस पर से राजस्व निरीक्षक मण्डल रीवा गिर्द तहसील हुजूर जिला रीवा द्वारा कमांक 133/रा0नि0/गिर्द दिनांक 4.11.2015 को नक्शा तरमीम का संशोधित प्रस्ताव भेजते हुये तहसीलदार ने दिनांक 23.12.15 को प्रतिवेदन, तर्मीम प्रस्ताव, स्थल पंचनामा एवं सूचना पत्र के दस्तावेजों सहित का अवलोकन करने पर दिनांक 23.12.15 को आदेश पारित करते हुये तरमीम मान्य किया गया जिससे परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि भूमि नंबर 15 के सभी उपखण्डधारियों को तलब करना चाहिये तथा सूचना देना चाहिये । आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा है कि खसरे में भूमि नंबर 15 का कुल रकवा 2.72 एकड दर्ज है किन्तु नक्शे के लेखांकन के माप में 1.97 एकड़ ही होता है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि खसरे में दर्ज शुदा रकवा एवं नक्शे की माप में उपलब्ध रकवा में आवेदक रवीन्द्र प्रसाद का रकवा 0.166 है0 होता है। भूमि नंबर 15 के सभी भूमिस्वामियों को पक्षकार बनाना चाहिये था उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया और न ही पक्षकार को सूचना दी गई है। जब खसरे की प्रविष्टि के अनुसार नक्शे का मिलान नहीं हो रहा था तो पूरे भूमि की नाप करना चाहिये था क्यों कि कुछ रकवा सड़क में दवता था उसका भी निर्धारण करना चाहिये था और यदि नक्शा में गलत था तो नक्शे में सुधार कराना चाहिये था इस तरह अधीनस्थ न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही व आदेश अधिकार विहीन है। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार की जाकर तहसीलदार हुजूर जिला रीवा का आदेश दिनांक 23.12.15 निरस्त किया जावे।

4– अनावेदक द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर उनके द्वारा तर्क भी किया गया है। अपनी लेखी बहस में अनावेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया है कि आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी म्याद से बाहर व भू–राजस्व संहिता के प्रावधानों के विपरीत गलत आधार व बिना सही तथ्यों को दर्शाये प्रस्तुत किये जाने से प्रथम दृष्टया निरस्त किये जाने योग्य है तथा वही अधिनस्थ

न्यायालय तहसीलदार द्वारा पारित नक्शा तर्मीम किये जाने का आदेश वैधानिक विधिवत पक्षकारो को सुनवाई का अवसर व सूचना प्रदान कर विधि संगत आदेश होने से स्थिर रखे जाने योग्य है। अनावेदक अधिवक्ता ने अपने तर्क में कहा है कि आवेदकगण के पिता शंभू प्रसाद शुक्ला अनावेदक कमांक–1 के मौसेरे भाई अनावेदक कमांक–1 रवीन्द्र प्रसाद शुक्ला एवं अन्य भाई जगदीश प्रसाद शुक्ला जो इस प्रकरण में पक्षकार नहीं है आपस में सगे भाई है यह कि उपरोक्त तीनों भाईयों को पारिवारिक आपसी हिस्सावाट में भूमि खसरा कमांक 15 कुल रकवा 2.73 एकड़ यानी 1.104 है0 स्थित ग्राम खुटेही 134 हल्का ढेकहा तहसील हुजूर जिला रीवा में प्राप्त हुई थी। अनावेदक द्वारा यह भी लेख किया गया है कि नक्शे तर्मीम की प्रारंभिक कार्यवाही से अनावेदक कमांक 1 को यह ज्ञात होने पर की मौके में भूमि खसरा कमांक का रकवा उपरोक्तानुसार कम उपलब्ध है तथा यदि मौके पर उपलब्ध विवादित भूमि का रकवा 1.97 एकड है तो उसके आधार पर पूर्व में आपसी हिस्सावाट में प्राप्त विवादित भूमि का अनुपात मौके से उपलब्ध भूमि के अनुपास में निकाला जाय तो आवेदकगणों का कुल हिस्सा 1.247 एकड मौके से उपलब्ध भूमि का 63.3 प्रतिशत अनावेदक कमांक –1 का हिस्सा 0.418 एकड़ मौके से उपलब्ध भूमि का 21.24 प्रतिशत व अन्य भाई जगदीश के पुत्र विजय कुमार की भूमि खसरा कमांक 15/3 का अनुपातित रकवा 0.302 एकड़ मौके के उपलब्ध भूमि का 15.38 प्रतिशत होता है परंतु दिनांक 30.10.13 को की गई प्रारंभिक कार्यवाही एवं ऊपर मौके में उपलब्ध भूमि का पारिवारिक हिस्सावाट अनुसार निकाले गये अनुपात से आवेदकगणों का 0.213 एकड में अत्याधिक कब्जा है एवं अनावेदक कमांक के हक से 0.05 एकड़ वही अन्य भाई जगदीश प्रसाद शुक्ला के हक हिस्से में से 0.15 एकड कम रकवे पर कब्जा है। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदकगण की प्रस्तुत निगरानी बलहीन होने से निरस्त की जावे।

4– आवेदकगण के अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन किया। आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों को दौहराया गया है जो उनके द्वारा अपनी निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है। उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क श्रवण किये तथा प्रस्तुत अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लेखी बहस का परिशीलन किया गया। प्रकरण के अध्ययन से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक मण्डल रीवा गिर्द तहसील हुजूर जिला रीवा द्वारा कमांक 133/रा0नि0/गिर्द दिनांक 4.11.15 द्वारा समस्त उपखण्डधारियों को सूचना दी गई है

जिसमें 5 व्यक्तियों के हस्ताक्षर है तथा गैवी चौकीदार द्वारा सूचना पत्र दिनांक 28.10.15 में **टीप अंकित की गई है कि शंभू प्रसाद शुक्ला को सूचना दी गई पत्र में हस्ताक्षर करने से इनकार किया** इसी प्रकार दिनांक 4.11.15 स्थल पंचनामा में लेख है कि सीमांकन के समय शंभू प्रसाद शुक्ला मौके पर उपस्थित रहे परन्तु पंचनामा में हस्ताक्षर नहीं किये। इससे यह विदित होता है कि आवेदकगण को नक्शा तरमीम आदि की कार्यवाही की जानकारी थी समस्त दस्तावेज का अवलोकन करने पर ही तहसीलदार तहसील हुजूर जिला रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 275/अ–74/2015–16 में आदेश दिनांक 23.12.15 पारित किया है जो विधि प्रावधानों से उचित है उसमें किसी प्रकार की त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। परिणामस्वरूप आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी बलहीन एवं महत्व हीन होने से निरस्त की जाती है।

(एम0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर